ई–मेल / फैक्स / स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग–2, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 2059/2–संग्रह–23सी / 2005 टी0सी0 ,दिनांक: 15/6/17

विषयः संग्रह प्रभार अधिरोपित किये जानें के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बकायेदार से वसूली व्यय लिये जाने के सम्बन्ध में परिषद स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा उन मामलों में भी वसूली व्यय लिया जा रहा है जिनमें देय धनराशि का भुगतान व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गयी सम्पत्ति की बिक्री के पूर्व कर दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–180 (लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली) की उपधाराओं में निम्न प्राविधान दिये गये हैः–

''(1) धारा–170 से 178 तक में उल्लिखित (प्रक्रियाओं का व्यय) जिसमें गिरफ्तारी और निरोध का व्यय भी सम्मिलित है, ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) राज्य सरकार देय धनराशि के दस प्रतिशत से अनधिक की दर पर संग्रहण प्रभार आरोपित कर सकती है, जैसा कि विहित किया जाय।

परन्तु कोई संग्रहण प्रभार देय नही होगा यदि देय धनराशि का भुगतान, यथास्थिति (व्यतिकमी) की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गयी सम्पत्ति की बिक्री के पूर्व कर दिया जाता है।

(3) ऐसी लागतों और संग्रहण प्रभारों को उसमें जोड़ा जा सकता है और वह भू–राजस्व की बकाये की भॉति (उसी रीति से) वसूली योग्य होगी।''

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व संहिता–2006 के उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने जनपद के अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रभावी निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,
15/6/17
(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

9८

संख्या व दिनॉक उपरोक्त।

1–प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–प्रतिलिपि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–7, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3–प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/17

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

O/C